

भारतीय मानक ब्यूरो
(स्थापना विभाग)

मानक भवन

9, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

हमारा संदर्भ: स्था-I/06:01/01/2019

दिनांक : 02 दिसंबर 2019

कार्यालय जापन

श्री रमेश चंदर, उच्च श्रेणी लिपिक को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (पीबी-2/ग्रेड पे रु.4200) में सहायक पद में पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है।

Shri Ramesh Chander, Upper Division Clerk has been selected for promotion to the post of Assistant in the Level-6 in the Pay Matrix [PB-2/Grade Pay of Rs 4200].

2. उनकी पदोन्नति उनके वर्तमान तैनाती के स्थान मुख्यालय-वित्त विभाग, नई दिल्ली में सहायक पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। अतः वह पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तुरंत अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

2. His promotion will take effect from the date he assumes the duties of the post of Assistant at his present place of posting i.e. HQ-Finance Deptt, New Delhi. Therefore, he should send his duty assumption report on promotion immediately to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through his Departmental Head.

3. चूंकि वह MACPS के अंतर्गत IInd वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत लेवल-5 [पीबी-1/ग्रेड पे रु.2800/-] वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए, वह नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की पात्र नहीं हैं। यद्यपि, पे मैट्रिक्स में उच्च लेवल वाले पद पर पदोन्नति होती है तो जैसा कि MACPS के अंतर्गत उपलब्ध है, कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा, केवल उच्च लेवल तथा निम्न लेवल में वेतन के अंतर, यदि कोई है, के पात्र होंगे।

3. Since, he has got the benefit of pay fixation under the grant of IInd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-5 [PB-1/Grade Pay of Rs 2800], therefore, he is not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules. However, the promotion is in the post carrying higher Level in the Pay Matrix than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of pay, if any in the pay in the existing Level and the Higher Level, would be made available.

4. वह दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे, जिसको ब्यूरो के नियमों व विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उन पर बिना किसी कारण या बिना किसी सूचना के उच्च श्रेणी लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित किए जाने की बाध्यता होगी।

4. He shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority as permitted under the Rules and Regulations of the Bureau. During the period of probation, he will be liable to be reverted to the post of Upper Division Clerk without any notice or any reason being assigned.

5. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

5. He will be required to serve anywhere in India.

6. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वह समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगे।

6. As regards other terms and conditions of service he will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-

(शोएब अख्तर)

सहायक निदेशक (स्थापना)

[निदेशक (वित्त) के माध्यम से]

श्री रमेश चंदर

कर्मचारी संख्या : 061956

भारतीय मानक ब्यूरो महानिदेशालय

नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

(i) उपमहानिदेशक(प्रशा)(सतर्कता सचिवालय)

(ii) निदेशक (लेखा)


(iii) निदेशक (वित्त)

(iv) कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल

(v) कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल

(vi) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु)

(vii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंटरनेट पर परिचालन हेतु)


सहायक निदेशक (स्थापना)